कार्यवृत्त

मंगलवार, 23 आषाढ़, शक संवत्, 1931
(दिनांक 14 जुलाई, 2009 ई0)

खण्ड–26
अंक–2

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–310 के अन्तर्गत 07 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

पहली सूचना माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्री करन महरा तथा श्री रणजीत सिंह रावत की है, जो हल्द्वानी में दिनांक 27 मई, 2009 को श्रीमती नौशीन को जलाये जाने के सम्बन्ध में हैं।

दूसरी सूचना माननीय सदस्य, श्रीमती अमृता रावत, श्री जोत सिंह गुनसोला तथा श्री बलवीर सिंह नेगी की है, जो प्रदेश में पीने के पानी की भारी समस्या से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में हैं।

तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय तथा श्री राजेश जुवांठा की है, जो विधायक निधि में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में हैं।

चौथी सूचना माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा, श्री दिनेश अग्रवाल तथा कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' की है, जो प्रदेश में वर्तमान में बिजली की भारी कमी से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के कारण जनता के आन्दोलनरत होने के सम्बन्ध में हैं।

पांचवी सूचना माननीय सदस्य श्री राजेश जुवांठा, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्री केदार सिंह रावत तथा श्री प्रीतम सिंह की है, जो प्रदेश में विगत 6 माह से वर्षा न होने के कारण उत्पन्न सूखे के संकट के सम्बन्ध में हैं।

छठी सूचना माननीय सदस्य श्री नारायण पाल, श्री हरिदास, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री तसलीम अहमद, मौ0 शहजाद तथा डा0 सुरेन्द्र राकेश की है, जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर के कर्मचारियों को छठा वेतनमान 01 जनवरी, 2006 से देने के सम्बन्ध में हैं।

सातवीं सूचना नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत की है, जो दिनांक 13 जुलाई, 2009 को सदन के पटल पर रखी गयी भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सरकार द्वारा भारी वित्तीय अनियमितता उजागर होने के सम्बन्ध में हैं।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि वे उपरोक्त सूचनाओं में से प्रदेश में पीने के पानी की भारी समस्या से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्रीमती अमृता रावत, श्री जोत सिंह गुनसोला, तथा श्री बलवीर सिंह नेगी, प्रदेश में विगत 6 माह से वर्षा न होने के कारण उत्पन्न सूखे के संकट के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री राजेश जुवांठा, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्री केदार सिंह रावत तथा श्री प्रीतम सिंह तथा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर के कर्मचारियों को छठा वेतनमान 01 जनवरी, 2006 से देने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री नारायण पाल, श्री हरिदास, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री तसलीम अहमद, मौ0 शहजाद तथा डा0 सुरेन्द्र राकेश की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

दिनांक 13 जुलाई, 2009 को सदन के पटल पर रखी गयी भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सरकार द्वारा भारी वित्तीय अनियमितता उजागर होने के सम्बन्ध में माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत की सूचना के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष ने माननीय नेता प्रतिपक्ष का ध्यान उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–219 की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि प्रक्रिया संबंधी नियमों में प्राविधान है कि लोक लेखा समिति राज्य के विनियोग लेखे और उन पर प्रतिवेदन का निरीक्षण करते समय लोक लेखा समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान कर ले और उन पर भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन जो सदन में रखा गया है, जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद–151(2) के अधीन रखे गये है, उन पर विचार करें और उस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करे। अतः लोक लेखा समिति जब तक अपना प्रतिवेदन न दे दें तब तक भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार किया जाना उचित नहीं होगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर सभी सदस्य 'वेल' में आकर दी गई सूचनाओं पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे। श्री अध्यक्ष द्वारा बार–बार अनुरोध किए जाने पर भी सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया तथा 'वेल' में खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। जिससे घोर व्यवधान होने लगा। **घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा 11 बजकर 8 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गयी।**

11 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

सदन की कार्यवाही 12 बजे से श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री यशपाल बेनाम ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि सरकार द्वारा एक ही प्रश्न के अलग-अलग जवाब दिये जा रहे हैं, जो बड़ा गम्भीर विषय है। श्री अध्यक्ष ने कहा कि सदन में दिए गये उत्तर का उत्तरदायित्व सम्बन्धित माननीय मंत्री का है। यदि ऐसा हो तो इसे विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-162 के अन्तर्गत सूचना दे दें।

चौ0 यशवीर सिंह द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि यह घोषणा हुई थी तथा यह व्यवस्था भी की गई थी कि पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु प्रत्येक विधायक को 20 लाख रूपये अतिरिक्त दिए जायेंगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि पर्यटन मंत्री इस स्थिति को स्पष्ट करें, किन सदस्यों को धन अवमुक्त हुआ है, कितने सदस्यों को नहीं। पर्यटन मंत्री के उत्तर से सन्तुष्ट न होने पर कांग्रेस तथा बसपा के कुछ सदस्य 'वेल' में आकर अपनी-अपनी बात को बोलने लगे, श्री अध्यक्ष ने कहा कि जब पर्यटन विभाग का बजट प्रस्तुत होगा, तब इसका परीक्षण करा लिया जायेगा और इस मद पर चर्चा हो सकेगी, उस समय आप इस बात को उठा सकते हैं। इस पर 'वेल' में खड़े सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गए।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-299 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न के रूप में दो सूचनाएं माननीय सदस्य काजी मो0 निजामुद्दीन तथा पुष्पेश त्रिपाठी की प्राप्त हुई हैं, जो इस सदन के पटल पर रखी गई राजधानी चयन आयोग की रिपोर्ट के कन्टेन्ट्स के सम्बन्ध में है। श्री अध्यक्ष ने कहा कि रिपोर्ट के कन्टेन्ट्स गुण-अवगुण के संबंध में औचित्य का प्रश्न नहीं उठता है, यदि माननीय सदस्य इस प्रतिवेदन पर चर्चा चाहते हैं तो इसे संगत नियम में सूचना देकर मांग कर सकते हैं, वह इसे औचित्य के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह रिपोर्ट जो सदन के पटल पर रखी गई है, वह दीक्षित आयोग की रिपोर्ट नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने पर उनके उत्तर से सन्तुष्ट न होने पर नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी सदस्य तथा उ0क्रा0द0 के सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी पत्रादि को फाड़ते हुए 'वेल' में आकर अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहने लगे। जिससे घोर व्यवधान होने लगा। तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर के विरोध में कांग्रेस के सभी सदस्यों ने सदन का त्याग किया।

नियम-300 के अन्तर्गत निम्नांकित विषयों पर सूचनाएं उनके नाम के सम्मुख अंकित माननीय सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयीं, जो पढ़ी हुई मानी गई :-

1. श्री सुरेन्द्र राकेश	देश में प्रसिद्ध 52वीं माँ चूड़ामणि देवी चुड़िमाला एवं राजा विनय सिंह शहीद स्मारक के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	नागार्जुन, नौबाड़ा-दौला, सिनार मोटर मार्ग में डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।
3. श्री जोगा राम टम्टा	जनपद पिथौरागढ़ के तहसील एवं विकास खण्ड गंगोलीहाट के अन्तर्गत ग्राम सभा रैतोला तथा तोक पीपरतोला की सम्पूर्ण सिंचाई भूमि हेतु पानी की समस्या के सम्बन्ध में।
4. काजी मौ0 निजामुद्दीन	कस्बा मंगलौर के राजकीय कन्या इन्टर स्कूल के भवन निर्माण के सम्बन्ध में।
5. श्रीमती आशा नौटियाल	जनपद रूद्रप्रयाग के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री केदारनाथ को मोटर मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में।

श्री गोपाल सिंह रावत ने ''जनपद उत्तरकाशी में मनेरी एवं जोशियाड़ा जलाशय को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री नागेन्द्र सिंह चौहान, निवासी ग्राम जामक पो0 मनेरी तहसील भटवाड़ी एवं अन्य निवासीगण जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री गोपाल सिंह रावत ने ''जनपद उत्तरकाशी में नाकुरी-धर्मशाला-खोड़-फलाचा-नन्दगांव-गंगनाणी मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री लोकेन्द्र सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम मांगलीसेरा पो0 न्यू वरसाली एवं अन्य निवासीगण जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री प्रेमानन्द महाजन ने ''जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम पंचायत कोपा में स्थित मझरा कोपा बसन्ता, कोपा मुनस्यारी खत्ता, नगलटिया खत्ता मझरे में उच्च शिक्षा के लिए मुनस्यारी में एक उच्चतर माध्यमिक स्कूल खुलवाने के सम्बन्ध में'' श्री गोविन्द शाह, निवासी ग्राम कोपा लालसिंह, पो0ओ0 गूलरभोज, तहसील गदरपुर एवं अन्य निवासीगण जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री प्रेमानन्द महाजन ने ''जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्राम पंचायत खटोला, विकास खण्ड गदरपुर के ग्राम राधाकान्तपुर में विद्युतीकरण के समय लगाये गये 25 के0वी0 के ट्रांसफार्मर के स्थान पर उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में'' श्रीमती सुरबाला मण्डल, निवासी ग्राम प्रधान खटोला, विकास खण्ड गदरपुर एवं अन्य निवासीगण जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री प्रेमानन्द महाजन ने ''जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर ग्राम पंचायत कोपा स्थित मझरा कोपा बसन्ता, कोपा मुनस्यारी, कोपा लाल सिंह, न्याप्लाट, सैमलचौड़, कटपुलिया, मुनस्यारी खत्ता, नगलटिया खत्ता मझरे में आने-जाने हेतु हरिपुरा जलाशय डाम में झूलापुल बनाने के सम्बन्ध में'' श्री गोविन्द शाह, निवासी ग्राम कोपा लालसिंह, पो0ओ0 गूलरभोज, तहसील गदरपुर एवं अन्य निवासीगण जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री गणेश जोशी ने ''जनपद देहरादून के नई बस्ती, लोहरवाला में पीने योग्य पानी हेतु पेयजल लाईन निर्माण के सम्बन्ध में'' श्रीमती शकुन्तला शर्मा, निवासी नई बस्ती लोहारवाला एवं अन्य निवासीगण जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री गणेश जोशी ने ''जनपद देहरादून के बिन्दाल नदी तक बहने वाली छोटी बिन्दाल नदी की सफाई व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री जय प्रकाश, निवासी श्री देव सुमन नगर एवं अन्य निवासीगण जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री अध्यक्ष द्वारा कार्यसूची की मद संख्या-12 पर अंकित याचिका हेतु माननीय सदस्य श्री अनिल नौटियाल का नाम पुकारा गया किन्तु वे सदन में उपस्थित नहीं थे।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गयी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 13 जुलाई, 2009 की बैठक में दिनांक 14 जुलाई, 2009 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

<u>जुलाई, 2009</u>

14 (मंगलवार)

(1) औपचारिक कार्य।

(2) विधायी कार्य।

(**क**) उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद विधेयक, 2009 पर विचार एवं पारण। (**1 घण्टा**)

(**ख**) पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 जो कि विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर विचार एवं पारण। (**10 मिनट**)

(3) वित्तीय वर्ष, 2009-10 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण। (**अपराह्न 4:00 बजे**)

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत 08 सूचनाएं प्राप्त हुई। नियम-310 के अन्तर्गत 03 सूचनाओं को नियम-58 में स्वीकार किया है तथा नियम-58 के अन्तर्गत 02 सूचनाएं स्वीकार की गई।

प्रदेश में पीने के पानी की भारी समस्या से जनता में व्याप्त आक्रोश विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्रीमती अमृता रावत, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री बलवीर सिंह नेगी तथा नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में विगत 6 माह से वर्षा न होने के कारण उत्पन्न सूखे के संकट विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री राजेश जुवांठा, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्री केदार सिंह रावत तथा श्री यशपाल आर्य ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण पर कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से वहिर्गमन किया। श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

सदन की कार्यवाही 2 बजकर 10 मिनट पर भोजनावकाश के लिए 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर के कर्मचारियों को छठा वेतनमान 01 जनवरी, 2006 से देने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री नारायण पाल तथा श्री प्रेमानन्द महाजन ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद हरिद्वार के ग्राम रहमतपुर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पट्टा धारकों की भूमि पर भू-माफिया (अरूण देव बिल्डर्स) द्वारा चकबन्दी अधिकारियों से साठ-गाठ कर भूमि कब्जा किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री हरिदास ने अपने विचार व्यक्त किए। राजस्व मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने माननीय सदस्य द्वारा उठायी गई समस्या के समाधान के लिए राजस्व एवं संसदीय कार्य मंत्री को उचित कार्यवाही हेतु निदेशित किया। तत्पश्चात् सूचना को अग्राह्य किया गया।

प्रदेश में विद्युत आपूर्ति बाधित होने से प्रदेश के किसानों को हो रही कठिनाई विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री तिलक राज बेहड़ ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय में विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की स्वीकृत सीटें रिक्त रहने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

शेष सूचनाएं भी अस्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्री किशोर उपाध्याय के भाषण के मध्य विधेयक पर विचार स्थगित हुआ।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष, 2009-10 का आय-व्ययक प्रस्तुत किया।

विधेयक पर चर्चा पुनः आगे जारी हुई।

श्री जोत सिंह गुनसोला ने भी चर्चा में भाग लिया।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-47, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद विधेयक, 2009 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 जो उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, पर विचार किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री ने अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रस्ताव किया कि पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 जो उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को पारित किया गया और जो ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत श्री राज्यपाल द्वारा विधान सभा के पुनर्विचार हेतु वापस प्राप्त हुआ है, को विधान सभा की प्रवर समिति, जो पूर्व से ही इस विषय से संबंधित अन्य विधेयकों पर विचार कर रही है, के सुपुर्द कर दिया जाय, प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

जनपद हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र को जंगली जानवरों (जंगली जानवरों, वन रोज आदि) से ''प्रभावित क्षेत्र'' घोषित कर, इस परिक्षेत्र में इनको मारे जाने हेतु विशेष नीति गठित करने विषयक दिनांक 17 दिसम्बर, 2008 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-12 के सम्बन्ध में कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' द्वारा दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत चर्चा में निम्नांकित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए:-

श्री जोत सिंह गुनसोला,
श्री सुरेन्द्र राकेश,
डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल तथा
कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''।

वन मंत्री द्वारा सरकार का पक्ष रखने के बाद चर्चा समाप्त हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत 06 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

विधान सभा क्षेत्र भिकियासैंण में भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त भी राजकीय महाविद्यालय में भवन आदि न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

जनपद उत्तरकाशी में वन विभाग द्वारा इमारती प्रकाष्ठ के बिक्री केन्द्र न खोलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं भी अस्वीकृत हुईं।

सदन की कार्यवाही 6 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
हरबंस कपूर,
अध्यक्ष,
विधान सभा।